

स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड्स, 2023

प्रलिम्सि के लिये:

स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड्स, 2023, IUCN (अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ), पश्चिमी घाट, एशियाई कोयल, प्रवासी पक्षी, जलवायु परविर्तन

मेन्स के लिये:

भारत के पक्षयों की स्थति रिपोर्ट, 2023

सरोत: इंडयिन एकसपरेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड्स** (State of India's Birds- SoIB), अर्थात् **भारत पक्षी स्थिति रिपीर्ट 2023** जारी की गई है, इसमें कुछ पक्षी प्रजातियों के अच्छे तरह विकसित होने और **कई पक्षी प्रजातियों में पर्याप्त गरिावट को दर्शाया गया है।**

SoIB 2023 बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS), वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (WII) और जूलॉजिकल सर्व ऑफ इंडिया (ZSI) सहित 13 सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों का अपनी तरह का पहला सहयोगात्मक प्रयास है। उक्त संगठनों व निकायों के साथ वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (WTI), वर्ल्डवाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया (WWF-इंडिया) आदि भारत में नियमित रूप से पाए जाने वाली पक्षी प्रजातियों की समग्र संरक्षण स्थिति का मूल्यांकन करते हैं।

रिपोर्ट में प्रयुक्त पद्धतियाँ:

- यह रिपोर्ट लगभग 30,000 पक्षी विज्ञानियों द्वारा एकत्र किये गए आँकड़ों पर आधारित है।
- इस रिपोर्ट में पक्षियों की आबादी का आकलन करने के लिये तीन प्राथमिक सूचकांकों को आधार बनाया गया है:
 - ॰ दीर्घकालिक रुझान (30 वर्षों में परविर्तन)
 - वर्तमान वार्षिक प्रवृत्त (पिछले सात वर्षों में परिवर्तन)
 - ॰ भारतीय वतिरण क्षेत्र का आकार
 - 942 पक्षी प्रजातियों के मूल्यांकन से पता चला है किउनमें से कई प्रजातियों में सटीक दीर्घकालिक या अल्पकालिक रुझान निर्धारित नहीं किये जा सके हैं।

रिपोर्ट के प्रमुख बदु:

- स्थितिः
 - ॰ चिहनति दीर्घकालिक रुझानों वाली 338 प्रजातियों में से 60% प्रजातियों में गरिावट देखी गई है, 29% प्रजातियाँ स्थिर हैं तथा 11% में वृद्धि देखी गई है।
 - ॰ निर्धारित वर्तमान वार्षिक रुझान वाली 359 प्रजातियों में से 39% घट रही हैं, 18% तेज़ी से घट रही हैं, 53% स्थिर हैं और 8% बढ़ रही हैं।
- सकारात्मक रुझान: पक्षियों की प्रजातियों में वृद्धि:

- ॰ सामान्य गरिावट के बावजूद कुछ पक्षी प्रजातियों में कुछ सकारात्मक रुझान देखे गए हैं।
- ॰ उदाहरण के लिये भारतीय मोर जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, बहुतायत और विस्तार दोनों मामले में उल्लेखनीय वृद्ध देखी जा रही है।
 - इस प्रजाति ने अपनी सीमा को नए प्राकृतिक वास में विस्तारित किया है, जिनमें उच्च तुंग वाले हिमालयी क्षेत्र और प्रा<u>चिमी घाट</u> के वर्षावन शामिल हैं।
- ॰ एशयिन कोयल, हाउस क्रो, रॉक पजिन और एलेक्जेंड्रिन पैराकीट (Alexandrine Parakeet) को भी उन प्रजातियों के रूप में उजागर किया गया है जिनहोंने वर्ष 2000 के बाद से उललेखनीय वृद्धि की है।

वशिष्ट पक्षी प्रजातिः

- ॰ पक्षी प्रजातियाँ जो "**वशिष्ट**" हैं- आर्द्रभूमि, वर्षावनों और घास के मैदानों जैसे **संकीर्ण आवासों तक ही सीमित** हैं, जबकि इन प्रजातियों के विपरीत वृक्षारोपण और कृषि कृषेत्रों जैसे व्यापक आवासों में निवास करने वाली प्रजातियाँ **तेज़ी से घट रही हैं।**
- ॰ **"सामानय पंकषी परजाति" जो कई परकार के आवासों में रहने में सकषम हैं**, एक समृह के रूप में अचछा परदरशन कर रहे हैं।
 - "हालाँकि, विशिषिट प्रजाति के पक्षियों को **सामान्य प्रजाति के पक्षियों की तुलना में अधिक खतरा है।**
 - घास के मैदानों में वास करने वाले विशेष पक्षियों में 50% से अधिक की गरावट आई है।
- वनों में वास करने वाले पक्षियों में भी सामान्य पक्षियों की तुलना में अधिक गरिावट आई है , जो प्राकृतिक वन आवासों को संरक्षित करने की आवश्यकता को दर्शाता है ताकि वे विशिष्ट प्रजाति के पक्षियों को को आवास प्रदान कर सकें।

प्रवासी और नविासी पक्षी:

- प्रवासी पक्षियों, विशेष रूप से यूरेशिया और आर्कटिक से लंबी दूरी के प्रवासी पक्षियों में 50% से अधिक की सार्थक कमी देखी गई है, साथ ही कम दूरी के प्रवासी पक्षियों की संख्या में भी कमी आई है।
- ॰ आर्कटिक में प्रजनन करने वाले तटीय पक्षी विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं, जिनमें **लगभग 80% की कमी** आई है।
- ॰ इसके विपरीत एक समूह के रूप में निवासी प्रजाति पक्षी अधिक स्थिर बने हुए हैं।

पक्षियों के आहार और संख्या में गरावट का पैटरन:

- ॰ पक्षियों की आहार संबंधी आवश्यकताओं में भी प्रचुरता देखी गई है। कशेरुक और**मांसाहार खाने वाले पक्षियों की संख्या में सबसे** अधिक गरिावट आई है।
 - डाइक्लोफेनाक (Diclofenac) से दूषित शवों को खाने से गिद्ध लगभग विलुप्त होने की अवस्था में थे।
- ॰ सफेद पूँछ वाले गदिधों, भारतीय गदिधों और लाल सिर वाले गदिधों को सबसे अधिक**दीर्घकालकि गरिगवट (क्रमशः 98%, 95% और** 91%) का सामना करना पड़ा है।

स्थानिक पक्षियों और जलपक्षियों की आबादी में गरावट:

- ॰ <u>पशचिमी घाट</u> और श्रीलंका जैववविधिता हॉटस्पॉट के लिये अद्वर्त<mark>िय स्थानिक प्</mark>रजाति<mark>यों में</mark> तेज़ी से गरिावट आई है।
 - भारत की 232 स्थानिक प्रजातियों में से कई प्रजातियों का आवास स्थानवर्षावन हैं और उनकी गरिावट आवास संरक्षण के बारे में चिता पैदा करती है।
- ॰ **बत्तख, निवासी और प्रवासी दोनों की संख्या कम हो रही है,** बेयर पोचार्ड, क<mark>ॉमन</mark> पोचार्ड और अंडमान टील जैसी कुछ प्रजातियाँ विशेष रूप से असुरक्षिति हैं।
- ॰ नदियों पर कई प्रकार के दबावों के कारण नदी के किनारे रेतीले घोंसले बनाने वाले पक्षियों की संख्या में भी गरिवट आक रही है।

प्रमुख खतरे:


- ॰ रिपोर्ट में **वन क्षरण, शहरीकरण और ऊर्जा अवसंरचना सहति कई प्रमुख खतरों पर प्रकाश** डाला गया है, जनिका सामना देश भर में पकषी परजातियों को करना पड़ रहा है।
- ॰ **निमेसुलाइड** जैसी पशु चकिति्सा दवाओं सहित **पर्यावरण प्रदूषक** अभी भी भारत में गद्धि आबादी के लिये खतरा हैं।
- जलवाय परविरतन के प्रभाव (जैसे प्रवासी प्रजातियों पर) पक्षी रोग और अवैध शकिार तथा व्यापार भी प्रमुख खतरों में से हैं।

अन्य प्रजातियाँ:

- o लंबी अवधि में **सारस करेन की आबादी में तेज़ी से गरीवट** आई है और यह जारी है।
- कठफोड़वा की 11 प्रजातियों, जिनके लिये स्पष्ट दीर्घकालिक रुझान प्राप्त किये जा सकते हैं, में से सात स्थिर दिखाई देती हैं, जबकि दो की आबादी घट रही हैं, और दो के मामले में तेज़ी से गिरावट आ रही है।
 - पीले मुकुट वाले कठफोड़वा (Yellow-Crowned Woodpecker), जो व्यापक रूप से काँटेदार और झाड़ियों वाले जंगलों में रहते हैं, की संख्या में पिछले तीन दशकों में 70% से अधिक की गरिावट आई है।
- जबकि विशिव भर में सभी बस्टर्ड में से आधे खतरे में हैं, भारत में प्रजनन करने वाली तीन प्रजातियाँ-ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फलोरिकन और बंगाल फलोरिकन सबसे अधिक असुरक्षित पाई गई हैं।

सफारशिं:

- पक्षियों के विशिष्ट समूहों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये रिपोर्ट में पाया गया कि घास के मैदान संबंधी विशिष्ट प्रजातियों की संख्या में 50% से अधिक की गिरावट आई है, जो घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और रखरखाव के महत्त्व को दर्शाता है।
- पक्षियों की आबादी में छोटे पैमाने पर होने वाले बदलावों को समझने के लिये लंबे समय तक पक्षियों की आबादी की व्यवस्थित निगरानी करना महत्त्वपूर्ण है।
- गरिावट या वृद्धि के पीछे के कारणों को समझने के लिये और अधिक शोध की आवश्यकता स्पष्ट होती जा रही है।
- रिपोर्ट के निष्कर्ष पक्षियों की आबादी में गरिावट को रोकने और एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिये आवास संरक्षण, प्रदूषण को संबोधित करने तथा पक्षियों की आहार आवश्यकताओं को समझने के महत्त्व पर ज़ोर देते हैं।



पारस्थितिकी तंत्र में पक्षियों की व्यवहार्य आबादी सुनश्चित करने के लिये संभावति कदम:

- पर्यावास संरक्षण और पुनरुद्धार:
 - ॰ जंगलों, आर्दरभूमियों, घास के मैदानों और तटीय क्षेत्रों जैसे प्राकृतिक आवासों की रक्षा तथा संरक्षण करना, जो पक्षियों के घोंसले, भोजन एवं प्रजनन के लिये आवश्यक हैं।
 - देशी वनस्पति लगाकर और पक्षियों की आबादी के लिये खतरा पैदा करने वाली आक्रामक प्रजातियों को हटाकर नष्ट हुए आवासों को पुनर्स्थापित करना।
- संरक्षति क्षेत्र और रज़िर्वः
 - संरक्षित क्षेत्रों और वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना व प्रबंधन करना जहाँ पक्षी मानवीय हस्तक्षेप के बिना रह सकें।
 - ॰ इन क्षेत्रों में आवास विनाश और गड़बड़ी को रोकने के लिये नियम <mark>और दिशा-निर्देश</mark> लागू <mark>करना</mark>।
- प्रदूषण कम करना:
 - ॰ **वायु और जल प्रदूषण सहति प्रदूषण स्रोतों को नयिंत्रति करना,** ज<mark>ो पक्षयों की</mark> आबादी को सीधे या उनके खाद्य स्रोतों के संदूषण के माध्यम से नुकसान पहुँचा सकते हैं।
 - शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करने के लिये स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना।
- जलवायु परविर्तन को कम करना:
 - ॰ **गरीनहाउस गैस उत्तररजन को कम करके** और टिकाऊ ऊरजा सरोतों को बढ़ावा देकर जलवायु परविरतन का समाधान करना।
 - आवास गलियारों का समर्थन करना जो पक्षियों को स्थानांतरित करने और बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल होने की अनुमति देते
 हैं।
- मानवीय हस्तक्षेप को सीमित करना:
 - ॰ घोंसले बनाने और भोजन प्रदान करने वाली जगहों पर विशेष रूप से प्रजनन के मौसम के दौरान **गडबड़ी को कम करने के महत्त्**व के बारे में जनता को शिक्षित करना।
 - ॰ मानवीय हस्तुतक्षेप को कम करने के लिये संवेदनशील <mark>पक्षी आ</mark>वासों के आसपास बफर ज़ोन स्थापति करना।

वभिनिन पक्षी प्रजातियों की सुरक्षा के लिये किये गए उपाय:

- प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना (2018-2023) ।
- बाघ, एशियाई हाथी, हिम तेंदु<mark>आ, एशियाई शेर, एक सींग वाला गैंडा</mark> और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी प्रजातियों के संरक्षण के लिय सीमा पार संरक्षित क्षेत्र।
- वनयजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
- भारत ने गिद्धों के संरक्षण के लिये कई आवश्यक कदम उठाए हैं जैसे-डाइक्लोफेनाक का पशु चिकित्सा में उपयोग पर प्रतिबंध, गिद्ध प्रजनन केंद्रों की सथापना आदि।